

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

पत्रावली संख्या : 23/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

हरीशचन्द्र पुत्र लेखचन्द्र शर्मा उम्र 55 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लक्खों
मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी हेलक रोड कुम्हेर जिला भरतपुर।
गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 27.09.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को
जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 27.09.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की
तकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 08.11.2020 को
दोपहर बाद 02.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स लक्खों मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, कुम्हेर का

निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु एक ट्रे में करीब 12 किग्रा० मावा रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1015/एक्ट/2020/1087 दिनांक 10.12.2020 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का मावा विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स लक्खों मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, कुम्हेर से मावा की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 10.12.2020 को दोहपर बाद 02.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा करीब 12 किग्रा० रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1015/एक्ट/2020/1087 दिनांक 10.12.2020 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडैक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम हरीशचन्द्र
प्रा०पत्र (खा०सु०) 23/2021

इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है।
अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर
10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की
राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर
की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)